

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 30.09.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल – 31 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मोनू पुत्र शिवराम नि० भदैया पुरवा उज्जैनी कला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 295 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. शिव कुमार उर्फ सुकई पुत्र ओमप्रकाश नि० केवटहिया जैतपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 80 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 415 / 20, धारा 60.60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. संतराम पुत्र श्याम नाथ नि० खटिकनपुरवा निसारुपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 338 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सोनू सिंह पुत्र प्रेम कुमार सिंह नि० वरवलिया कलहंसन थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 397 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

05. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. संतोष पुत्र किशन लाल नि० ठाकुरद्वारा थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 751 / 20, 02. तिलकराम उर्फ

तिलगू पुत्र स्व० छोटू नि० मुरगहवा मौजा लक्ष्मणपुर थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 752 / 20, 03. राजू सोनकर पुत्र मुन्ना सोनकर नि० गुरुदयाल पुरवा थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 753 / 20, धारा 60.60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का वांछित आरोपी अभियुक्त

गिरफ्तार-

गोण्डा । बुधवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त सिपाही लाल उर्फ अरुण कुमार पुत्र श्याम मनोहर नि० बड़का लालपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 245 / 20, धारा 354.452 भादवि० व 7 / 8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ किया था, जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना कटराबाजार में उक्त आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें कटराबाजार पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।